



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 142-2021/Ext.]

चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 27 अगस्त, 2021
(5 भाद्र, 1943 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या सांका०नि० 19/संवि०/अनु० 309/2021 दिनांक 27 अगस्त, 2021 —हरियाणा विधि विज्ञान ग्रुप ख सेवा (संशोधन) नियम, 2021.	421-424
भाग IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

भाग-III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 अगस्त, 2021

संख्या सांकांनि० 19/संवि०/अनु० 309/2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा विधि विज्ञान ग्रुप ख सेवा नियम, 1980, को आगे संशोधित करने के निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- ये नियम हरियाणा विधि विज्ञान ग्रुप ख सेवा (संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।
- हरियाणा विधि विज्ञान ग्रुप ख सेवा नियम, 1980 (जिन्हें इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“14 अनुशासन, शास्तियां तथा अपीले.— (1) अनुशासन शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा-संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे:

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ‘ग’ में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट ‘घ’ में यथाविनिर्दिष्ट है।”।

- उक्त नियमों में, परिशिष्ट क के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन विज्ञान)	3	एफ०पी०एल०-9, सैल-1, ₹ 53100-167800/-
2.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक विज्ञान)	1	एफ०पी०एल०-9, सैल-1, ₹ 53100-167800/-
3.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान)	2	एफ०पी०एल०-9, सैल-1, ₹ 53100-167800/-
4.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (सीरम विज्ञान)	3	एफ०पी०एल०-9, सैल-1, ₹ 53100-167800/-
5.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (प्राक्षेपिकी)	3	एफ०पी०एल०-9, सैल-1, ₹ 53100-167800/-
6.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (प्रलेख)	2	एफ०पी०एल०-9, सैल-1, ₹ 53100-167800/-
7.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (झूठ संसूचन)	1	एफ०पी०एल०-9, सैल-1, ₹ 53100-167800/-
8.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (एन०डी०पी०एस०)	1	एफ०पी०एल०-9, सैल-1, ₹ 53100-167800/-
9.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (डी०एन०ए०)	1	एफ०पी०एल०-9, सैल-1, ₹ 53100-167800/-
10.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फोटो)	1	एफ०पी०एल०-9, सैल-1, ₹ 53100-167800/-
11.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अपराध दृश्य)	10	एफ०पी०एल०-9, सैल-1, ₹ 53100-167800/-
12.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विष विज्ञान)	2	एफ०पी०एल०-9, सैल-1, ₹ 53100-167800/-
13.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (साईबर फोरेंसिक)	1	एफ०पी०एल०-9, सैल-1, ₹ 53100-167800/-
14.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विस्फोटक)	1	एफ०पी०एल०-9, सैल-1, ₹ 53100-167800/-
15.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (मनोविज्ञान)	5	एफ०पी०एल०-9, सैल-1, ₹ 53100-167800/-
16.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (डायटोमोलोजी)	1	एफ०पी०एल०-9, सैल-1, ₹ 53100-167800/-।”।

- उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, खाना 3 तथा 4 के नीचे,—

(i) क्रम संख्या 1 के सामने, मद (i) में, “रसायन विज्ञान/रसायन विज्ञान या आविषालुता विज्ञान में विशेषज्ञता सहित विधि विज्ञान” शब्दों के स्थान पर, “रसायन विज्ञान/विधि विज्ञान/विष विज्ञान” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

- (ii) क्रम संख्या 2 के सामने, मद (i) में, “विधि भौतिक विज्ञान में विशेषज्ञता सहित” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 3 के सामने मद (i) में, “विधि जीव विज्ञान में विशेषज्ञता सहित” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 4 के सामने, मद (i) में, “विधि सीरम विज्ञान में विशेषज्ञता सहित” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।
- (v) क्रम संख्या 5 के सामने, मद (i) में, “विधि प्राक्षेपिकी में विशेषज्ञता सहित” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 6 के सामने, मद (i) में, “विधि प्रलेख में विशेषज्ञता सहित” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 8 के सामने, मद (i) में, “विधि रसायन विज्ञान में विशेषज्ञता सहित” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 12 के सामने, मद (i) में, “रसायन विज्ञान/जैव रसायन/विष विज्ञान/विधि रसायन/विधि रसायन विज्ञान/विष विज्ञान में विशेषज्ञता सहित” शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, रसायन विज्ञान/जैव रसायन विज्ञान/विष विज्ञान/विधि विज्ञान” शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ix) क्रम संख्या 14 के सामने, मद (i) में, “रसायन विषय में विशेषज्ञता सहित” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा; तथा
- (x) “मैट्रिक स्तर तक हिन्दी” तथा “मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत” शब्द, जहाँ कहीं भी आएँ, के स्थान पर, “मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

राजीव अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**HOME DEPARTMENT****Memorandum**

The 27th August, 2021

No. G.S.R. 19/Const./Art. 309/2021.— In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Forensic Science (Group B) Service Rules, 1980, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Forensic Science (Group B) Service (Amendment) Rules, 2021.
2. In the Haryana Forensic Science (Group B) Service Rules, 1980 (hereinafter called the said rules), for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:—

“14. Discipline, penalties and appeals.— (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and the appellate authority shall be such as specified in Appendix D to these rules.”.

3. In the said rules, for Appendix A, the following Appendix shall be substituted, namely:—

“Appendix- A

Serial Number	Designation of Post	Number of posts	Scale of pay
1	2	3	4
1.	Senior Scientific Officer (Chemistry)	3	FPL-9, Cell-1, ₹ 53100-167800/-
2.	Senior Scientific Officer (Physics)	1	FPL-9, Cell-1, ₹ 53100-167800/-
3.	Senior Scientific Officer (Biology)	2	FPL-9, Cell-1, ₹ 53100-167800/-
4.	Senior Scientific Officer (Serology)	3	FPL-9, Cell-1, ₹ 53100-167800/-
5.	Senior Scientific Officer (Ballistics)	3	FPL-9, Cell-1, ₹ 53100-167800/-
6.	Senior Scientific Officer (Documents)	2	FPL-9, Cell-1, ₹ 53100-167800/-
7.	Senior Scientific Officer (Lie-Detection)	1	FPL-9, Cell-1, ₹ 53100-167800/-
8.	Senior Scientific Officer (NDPS)	1	FPL-9, Cell-1, ₹ 53100-167800/-
9.	Senior Scientific Officer (DNA)	1	FPL-9, Cell-1, ₹ 53100-167800/-
10.	Senior Scientific Officer (Photo)	1	FPL-9, Cell-1, ₹ 53100-167800/-
11.	Senior Scientific Officer (Scene of Crime)	10	FPL-9, Cell-1, ₹ 53100-167800/-
12.	Senior Scientific Officer (Toxicology)	2	FPL-9, Cell-1, ₹ 53100-167800/-
13.	Senior Scientific Officer (Cyber Forensic)	1	FPL-9, Cell-1, ₹ 53100-167800/-
14.	Senior Scientific Officer (Explosive)	1	FPL-9, Cell-1, ₹ 53100-167800/-
15.	Senior Scientific Officer (Psychology)	5	FPL-9, Cell-1, ₹ 53100-167800/-
16.	Senior Scientific Officer (Diatomology)	1	FPL-9, Cell-1, ₹ 53100-167800/-.”.

4. In the said rules, in Appendix B, under columns 3 and 4,—
 - (i) against serial number 1, in item (i), the words “with specialization in Forensic Chemistry” shall be omitted;
 - (ii) against serial number 2, in item (i), the words “with specialization in Forensic Physics” shall be omitted;
 - (iii) against serial number 3, in item (i), the words “with specialization in Forensic Biology” shall be omitted;
 - (iv) against serial number 4, in item (i), the words “with specialization in Forensic Serology” shall be omitted;
 - (v) against serial number 5, in item (i), the words “with specialization in Forensic Ballistics” shall be omitted;

- (vi) against serial number 6, in item (i), the words “with specialization in Forensic Documents” shall be omitted;
- (vii) against serial number 8, in item (i), the words “with specialization in Forensic Chemistry” shall be omitted;
- (viii) against serial number 12, in item (i), the words and sign “with specialization in Forensic Chemistry/Toxicology” shall be omitted;
- (ix) against serial number 14, in item (i), the words “with specialization in Chemistry” shall be omitted; and
- (x) for the words “Hindi upto Matric” and “Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher education” wherever occurring, the words “Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education” shall be substituted.

RAJEEV ARORA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Home Department.